राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

(E-mail:-rj-slsa.nic.in, rslsajp@gmail.com Website:-www.rlsa.gov.in)

क्रमांकः–एफ–7(76) रालसा / संस्था–पी.एल.ए.अध्यक्ष नियुक्ति / 2023 / 16695 दिनांकः 05/10/2023

स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) की धारा 22 बी के अन्तर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थायी लोक अदालत मुख्यालय अजमेर, अलवर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, झालावाड़, प्रतापगढ, जोधपुर महानगर में वर्तमान में रिक्त एवं वर्ष 2023 में चूरू में रिक्त होने वाले पूर्णकालिक अध्यक्ष के पदों (कुल 08 पद) पर नियुक्ति हेतु पात्र जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत / सेवानिवृत्त अधिकारियों से ऑफलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. **पूर्णकालिक अध्यक्ष पद हेतु आवेदन करने की पात्रता व योग्यता–**

(क) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके है।

अथवा

(ख) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो दिनांक 31.03.2024 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

2. **सेवा के निबंधन एवं शर्तें–**

(क) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए की जाएगी, तदनुपरान्त प्रतिवर्ष, सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकतम कुल 05 वर्ष तक की अवधि या 65 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो, तक बढ़ायी जा सकेगी।

(ख) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष को मानदेय व अन्य सुविधाएं, स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें), नियम 2003 (यथासंशोधित) के अनुरूप देय होगी।

(ग) नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को एक वचन बंध–पत्र (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा, जिससे उसके अध्यक्ष के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(घ) अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर, उस तारीख से जिससे वह ऐसे पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी संगठन में या उसके प्रबंधन या प्रशासन में जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन कार्यवाही का विषय रहा है, कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा या उससे संबंध नहीं रहेगा।

(ड.) पूर्णकालिक अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत अपने पदीय कर्तव्यों के अतिरिक्त माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण के ऐसे समस्त कार्य करने के उत्तरदायी होगें जो उन्हें समय–समय पर निर्दिष्ट किये जा सकेंगें।

3. **चयन की रीति / प्रकिया–**

(क) स्थाई लोक अदालत के उक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर चयन, योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा।

नोट– आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थियों में से छंटनी (शॉर्टलिस्टिंग) की जा सकेगी व तदनुसार शेष पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

(ख) चयन एवं चयन की रीति, प्रक्रिया या मापदण्ड निर्धारित करने का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेकाधीन होगा।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का टी.ए. / डी.ए. देय नहीं होगा।

4. **आवेदन करने की प्रक्रिया व समय सीमा–**

(क) पात्रता रखने वाले सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित/प्रस्तुत करना होगा।

(ख) सेवारत न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रेषित करना होगा। सीधे इस कार्यालय को प्रेषित आवेदन पत्र को विचार में नहीं लिया जाएगा। अतः इच्छुक न्यायिक अधिकारी अपना आवेदन पत्र, अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए यथोचित समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(ग) आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट **www.rlsa.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

(घ) आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र में वर्णित वांछित समस्त दस्तावेजों की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(ड) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.10.2023 समय सायं 05:00 बजे तक है। अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(च) **ई–मेल अथवा फैक्स आदि से प्रेषित किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।**

5. **नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेगी।**

6. **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 व स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।**

7. **उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा।**

5/10/23

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in, **website: www.rlsa.gov.in**

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन।

पासपोर्ट साइज का नवीनतम स्व–हस्ताक्षरित फोटो चिपकाये

1. आवेदक का नाम
   हिन्दी में ....
   अंग्रेजी में ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम ....
3. जन्म तिथि (शब्दो व अंकों में) ....
   ....
4. शैक्षणिक योग्यता ....
5. गृह जिला ....
6. स्थायी निवास का पता ....
   ....
   (टेलीफोन नम्बर)...
7. वर्तमान पत्राचार का पता ....
   ....
   (टेलीफोन नम्बर)...
8. मोबाईल नम्बर ....
9. ई–मेल एड्रेस ....
10. कार्यालय का पता ....
11. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण(सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित) :–

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					